उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-।
संख्या जी-।-354/दस-534/(46)/76
दिनांक : लखनऊ 22 मई, ।982

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि में सरकारी सेवकों को वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप संख्या जी-।-8638/दस-534(46)/76, दिनांक ।7 मई, ।979 में सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा स्थानीय निकायों आदि में सरकारी सेवकों की वाह्य सेवा के सम्बन्ध में सामान्य शर्तें निर्धारित की गई थी। कार्यालय-ज्ञाप संख्या जी-।-3095/दस-534(38)/22, दिनांक ।3 मई, ।980 द्वारा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों, जिनके वेतन/भत्तों के आहरण के लिये महालेखाकार के प्रधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है, के सम्बन्ध में वाह्य सेवा की अवधि में पेन्शनरी तथा अवकाश वेतन अंशदान की वसूली की नवीन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी । कार्यालय-ज्ञाप संख्या जी-।-845/दस-534(46)/76, दिनांक । अप्रैल, ।982 में नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान भत्ता सम्बन्धी मानक शर्तों संख्या-4 में संशोधन किया गया था। अधोहस्ताक्षरी को अब यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्देशों के वाह्य सेवा की मानक शर्तों में सम्मिलित करने तथा अन्य विसंगतियों के निराकरण हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

।- उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक ।7 मई, ।979 के आंशिक संशोधन में राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि उसके प्रस्तर 3 के उप प्रस्तर (।) में उल्लिखित उपक्रमों आदि में वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित किये जाने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को अपने पैतृक विभाग में प्राप्त वेतनमान में समय-समय पर प्राप्त होने वाला वेतन तथा उस पर 20 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा। प्रतिनियुक्ति भत्ता इस शर्त के साथ देय होगा कि इसकी अधिकतम सीमा किसी भी समय 250 रु0 प्रतिमाह से अधिक न होगी और अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते की कुल धनराशि का योग किसी भी समय और किसी भी दशा में रु0 2,450 प्रतिमाह से अधिक दिनांक । जुलाई, ।979 से पूर्व लागू पुराने वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में न होगा। किन्तु दिनांक । जुलाई, ।979 से लागू नये वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह योग किसी भी समय तथा किसी भी दशा मे रु0 2,700 प्रति माह से अधिक न होगा।

इस सम्बन्ध में यह भी आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त प्रकार के संस्थानों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी यथा, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों आदि में जहां सरकारी सेवक वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित किये गये हों अथवा किये जायें, उपर्युक्त प्रतिबन्ध समान रूप से लागू किया जायेगा। अतएव यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी सरकारी सेवक को उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक ।3 मई, ।979 के उप प्रस्तर 3 (4) के प्राविधान के अधीन दिनांक । सितम्बर, ।978 के वाह्य सेवा पर 250 रु0 प्रतिमाह से अधिक दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त नहीं होगा तथा उसके मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते की धनराशि का कुल योग दिनांक । जुलाई, ।979 से पूर्व लागू पुराने वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में 2,450 रु0 से अधिक किसी भी दशा में न होगा। किन्तु दिनांक । जुलाई ।979 से लागू नये वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में यह योग किसी भी समय तथा किसी भी दशा में 2700 रु0 प्रति माह से अधिक न होगा।

2- उक्त दिनांक ।7 मई, ।979 के कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर 3 के उप प्रस्तर (6) की छठी पंक्ति में शब्द 'ज' तथा मुख्यालय के मध्य में आने वाली शब्दावली 'उपक्रमों के' निकाल दिया जाय।

अधोहस्ताक्षरी को यह भी निवेदन करने का निदेश हुआ है कि दिनांक 17 मई, 1979 के कार्यालय-ज्ञाप से संलग्न वाह्य सेवा की मानक शर्तों को इस कार्यालय-ज्ञाप के अनुलग्नक में उल्लिखित मानक शर्तों से प्रतिस्थापित कर दिया जाय।

जगमोहन लाल बजाज,
वित्त सचिव।

सेवा में,

सचिवालय के सभी अनुभाग।

संख्या जी-1-354(1)/दस-534(46)/76

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
2- विधान सभा/विधान परिषद्, सचिवालय।
3- राज्यपाल सचिवालय।
4- शासन के समस्त सचिव तथा विशेष सचिव।
5- महालेखाकार 1, 11 एवं 111, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, लखनऊ।

आज्ञा से,
एस0 डी0 वर्मा,
उप सचिव।

सेवायोजक अवकाश वेतन (न कि अवकाश वेतन अंशदान) के लिये देनदार होगा, चाहे ऐसी विकलाँगता का पता वाह्य सेवा की समाप्ति के बाद ही क्यों न लगे।

8-अवकाश वेतन और पेंशन संबंधी अंशदान-

(क) ऐसे अधिकारियों के सम्बन्ध में जिनके वेतन तथा भत्तों के आहरण तथा भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता होती है :-

अवकाश वेतन और पेंशन के लिये अंशदानों का भुगतान सरकारी सेवक द्वारा या वाह्य सेवायोजक द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, वित्तीय नियमावली, खण्ड 2, भाग-2 के मूल नियम (फण्डामेन्टल रूल्स) ।।5 एवं ।।6 के अधीन राज्यपाल द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। सहायक नियम ।85 के अनुसार अब उपरोक्त अंशदानों का भुगतान मासिक न होगा वार्षिक होगा। यदि वाह्य सेवावधि एक वर्ष से कम हो तो इन अंशदानों का भुगतान वाह्य सेवा अवधि की समाप्ति पर तुरन्त किया जायेगा। जैसा कि कार्यालय-ज्ञाप वित्त (सामान्य) अनुभाग-। सं0 जी-।-3095/दस-534(38)-22, दिनांक ।3 मई, ।980 के संलग्नक-2 में निर्दिष्ट किया गया है। उपर्युक्त अंशदानों का भुगतान अब अलग-अलग लेखा शीर्षकों में जमा किया जायेगा। यदि इन अंशदानों का भुगतान विलम्बत: ।5 अप्रैल तक नहीं किया जाता है तो सरकारी सेवक या वाह्य सेवायोजक जैसी भी स्थिति हो, को पूर्वोक्त सहायक नियम ।85 में निर्धारित दर से देय अंशदानों पर ब्याज भी देना पड़ेगा। भले ही महालेखाकार उत्तर प्रदेश ने उन अंशदानों के लिये कोई दावा पेश न किया हो, अत: यह सरकारी सेवक अथवा वाह्य सेवायोजक, जैसी भी स्थिति हो, के हित में ही होगा कि वह इन आदेशों के मिलते ही महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से सम्पर्क स्थापित करें और उनसे इन अंशदानों की दरों और उनके भुगतान की विधि के बारे में पूछ लें।

यह अंशदान यथास्थिति सरकारी सेवक अथवा वाह्य सेवायोजक द्वारा महालेखाकार को बैंक ड्राफ्ट या बैंक द्वारा भेजे जाने चाहिये जो कि हर हालत में क्रास कर दिये जाने चाहिये।

(ख) ऐसे सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में जिनके वेतन तथा भत्तों आदि के आहरण तथा भुगतान के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है :-

प्रश्नगत वाह्य सेवा की अवधि में श्री ---------- के सम्बन्ध में अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान वित्तीय नियमावली, खण्ड 2, भाग-2 से 4 के मूल नियम ।।5 व ।।6 के अधीन राज्यपाल द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा। सहायक नियम ।85 के अनुसार अब उपरोक्त अंशदानों का भुगतान मासिक न होकर वार्षिक होगा। यदि वाह्य सेवावधि एक वर्ष से कम हो तो इन अंशदानों का भुगतान वाह्य सेवा अवधि की समाप्ति पर तुरन्त किया जायेगा। इस समय प्रचलित दरों के अनुसार श्री ---------- ---------- के सम्बन्ध में अवकाश वेतन एवं पेंशनरी अंशदान अनुलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार देय हैं। उक्त अंशदान की वसूली व लेखे जोखे के रख-रखाव के लिये श्री ---------- (नाम निर्दिष्ट विभागीय अधिकारी का नाम तथा पदनाम) उत्तरदायी होंगे। उपर्युक्त अंशदानों का भुगतान अब अलग-अलग लेखा शीर्षकों से जमा होगा। जैसा कि कार्यालय-ज्ञाप वित्त (सामान्य) अनुभाग-संख्या जी-।-3095/दस-536(38)/22, दिनांक ।3 मई, ।980 के संलग्नक-2 में निर्दिष्ट किया गया है। वाह्य सेवायोजक अथवा सरकारी सेवक, जैसी भी स्थिति हो, को उक्त अंशदान प्रत्येक वर्ष विलम्बतम् ।5 अप्रैल तक नाम निर्दिष्ट अधिकारी को बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक द्वारा भेज देना चाहिये जो कि हर हाल में क्रास कर देना चाहिये अन्यथा वित्तीय नियमावली खण्ड 2, भाग 2-4 के सहायक नियम ।85 मे निर्धारित दरों से देय अंशदानों पर ब्याज भी देना होगा। अत: यह सरकारी सेवक अथवा वाह्य सेवायोजक जैसी भी स्थिति हो, के हित में होगा कि इन आदेशों के मिलते ही उक्त अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके इन अंशदानों की (दरों और उनकी भुगतान) की विधि के बारे में पूछ लें।

9- भविष्य निधि वाह्य सेवायोजक को श्री ---------- के वेतन से भविष्य निधि का अभिदान काट लेना चाहिये और उसे उनके भविष्य निधि लेखे में जमा कर देना चाहिये।

अपनी वाह्य सेवा की अवधि में श्री ---------- राज्य सरकार के भविष्य निधि नियमों द्वारा नियन्त्रित होते रहेंगे।

10- **चैकित्सिक सुविधायें** :- वाह्य सेवा में रहते हुये श्री ---------- के चैकित्सिक उपचार के सम्बन्ध में वे विशेष सुविधायें प्राप्त होती रहेगी जो राज्य सरकार के अधीन उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं से किसी प्रकार निम्नतर न होगी। किन्तु किसी भी सरकारी सेवक को वाह्य सेवायोजक द्वारा चैकित्सिक भत्ता देय न होगा।

11- **असाधारण पेंशन**- श्री ---------- अथवा उसके परिवार द्वारा वाह्य सेवा में रहते हुये उनकी विकलाँगता अथवा मृत्यु के सम्बन्ध में किया गया कोई दावा उत्तर प्रदेश सिविल सेवायें (असाधारण पेंशन) नियमावली यू0 पी0 सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डनरी पेंशन रूल्स) के अनुसार निर्णीत किया जायेगा और पंच निर्णय (award) के पूरे मूल्य का दायित्व वाह्य सेवायोजक का ही होगा।

12- **अवकाश वेतन तथा अवकाश अवधि में प्रतिकर भत्ता**- वाह्य सेवा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर श्री ---------- द्वारा लिया गया अवकाश अवधि से सम्बन्धित अवकाश वेतन सम्बन्धित सरकारी सेवक के पैतृक विभाग द्वारा देय होगा तथा उस अवधि के प्रतिकर भत्तों का पूरा व्यय वाह्य सेवायोजक द्वारा ही वहन किया जायेगा। परन्तु वाह्य सेवा पर रहते हुये मृत्यु या सेवानिवृत्ति की दशा में सम्बन्धित सरकारी सेवक के अवकाश खाते में जमा अवकाश के एवज में नियमानुसार अनुमन्य वेतन तथा उस पर देय प्रतिकर भत्तों का भुगतान सम्बन्धित सरकारी सेवक के पैतृक विभाग द्वारा किया जायेगा।

13- **सामूहिक बीमा योजना**- इस योजना के अधीन श्री ---------- वाह्य सेवा की अवधि में अपना अंशदान निरन्तर करते रहेंगे।

14- **अन्य वित्तीय सुविधायें**- यदि श्री ---------- को वाह्य सेवायोजक द्वारा उक्त शर्तों के अतिरिक्त कोई अन्य वित्तीय सुविधा दिया जाना प्रस्तावित हो तो यह शासन की स्पष्ट सहमति के बिना अनुज्ञेय न होगी।